

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा और अन्य

बनाम

एम/एस. फनस्कूल (इंडिया) लिमिटेड और अन्य.

सिविल अपील संख्या 3460-3462/2004

आई. ए. सं. 8-10/2009

25 जनवरी, 2010

[एस. एच. कपाडिया और आफताब आलम, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और शुल्क अधिनियम, 1985:

पहली अनुसूची-अध्याय 95-शीर्ष 95.04 'सांप और सीढ़ी', 'एकाधिकार' और स्क्रैबल खेल/ऊपर का वर्गीकरण की ओर-उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 12.11.2009 का स्पष्टीकरण- विभाग द्वारा दायर अपील में 34 मदों (ना कि 12 मदों के साथ नहीं जैसा कि दिनांक 12.11.2009 के आदेश में उल्लेख किया गया है) पर विचार किया गया है-यह स्पष्ट किया जाता है कि 34 मदों में से 3 ' स्क्रैबल खेल /ऊपर की ओर ', 'एकाधिकार 'और' सांप और सीढ़ी 'से संबंधित हैं-मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स में निर्णय लागू करते हुए, उक्त तीन मदों, अर्थात् 'सांप और सीढ़ी ', 'एकाधिकार 'और' स्क्रैबल खेल /ऊपर की ओर ' अध्याय 95.04 वर्गीकृत करने योग्य है-मामला न्यायाधिकरण को यह जांचने के लिए भेजा जाता है कि क्या शेष 31 वस्तुओं में से प्रत्येक CSH 9504.90 या CSH 9503.00 द्वारा कवर किया जाएगा-उस उद्देश्य के लिए न्यायाधिकरण को मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स-ऑर्डर-क्लैरिफिकेशन ऑफ-सेंट्रल

एक्साइज एक्ट, 1944-s11-ए के मामले में फैसले में उल्लिखित परीक्षणों को लागू करने की आवश्यकता है। ।

मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स एंड अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई-एल [2009] 15 एस. सी. आर. 851 पर निर्भर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा 11-ए कारण बताओ नोटिस -लिमिटेशन- अभिनिर्धारित-

तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में, दिनांक 23.11.2001 के कारण बताओ नोटिस के संबंध में, विभाग के दावे को अक्टूबर, 2000 के बाद की अवधि तक सीमित करना होगा, और वह भी, यदि, वर्गीकरण के मामले में गुण-दोष पर निर्णय निर्धारिती के खिलाफ जाता है-जहां तक दिनांक 1.5.2001 के कारण बताओ नोटिस के संबंध में, उक्त नोटिस समय सीमा के भीतर है और इसलिए, विभाग कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और शुल्क अधिनियम, 1985

मामला कानून संदर्भ:

[2009] 15 एससीआर 851 पैरा 3 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3460-3462/2004

आई. ए. सं. 8-10/2009

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण दक्षिण क्षेत्रीय पीठ, चेन्नई के दिनांक 23.1.2004 के अंतिम आदेश संख्या 103-105/2004 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थीगण के लिए एच. पी. रावल, ए.एस.जी., टी. वी. रत्नम, डी. मोहता, बी. कृष्ण प्रसाद।

प्रत्यर्थीगणों के लिए एम. चंद्रशेखरन, के. आर. नाम्बियार।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

विवादग्रस्त वस्तुओं का विवरण देने में निरीक्षण के माध्यम से की गई तथ्यात्मक त्रुटियों को देखते हुए (हालांकि निष्कर्ष/निष्कर्ष दर्ज करने में कोई गलती नहीं है), हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा और अन्य वी. एम/एस. फनस्कूल (इंडिया) लिमिटेड और अन्य. (संक्षेप में "एफ. आई. एल".)सिविल अपील संख्या 3460-3462/2004)में 12 नवंबर, 2009 के अपने आदेश को वापस लेते हैं।

तदनुसार,. सिविल अपील सं 3460-3462/2004 में आई. ए. सं. 8-10/2009 को अनुमति दी जाती है।

2. सिविल अपील संख्या 3460-3462/2004 को सहमति से,सुनवाई के लिए लिया जाता है और निपटाया जाता है।

3. मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स और अन्य बनाम.केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई-। सिविल अपील संख्या 4309-4311/2008],के मामले में 12 नवंबर, 2009 के हमारे फैसले के अनुसार इस न्यायालय ने माना कि उत्पाद "स्कैबल/अपवर्ड्स"केंद्रीय उत्पाद शुल्क और शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के CSH 9504.90 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।उक्त सी. एस. एच. 9504.90 एस. सी. एच. 95.04 के अंतर्गत आता है जो "फन फेयर, टेबल या पार्लर खेलों के लिए लेखों को संदर्भित करता है, जिसमें पिंटबल्स, बिलियर्ड्स, कैसिनो खेलों के लिए विशेष टेबल और स्वचालित गेंदबाजी गली उपकरण शामिल हैं।"पूर्व-वर्णित निर्णय में, हमने यह विचार लिया है कि उत्पाद "स्कैबल/अपवर्ड्स"सीएच 95.04 के अंतर्गत आता है और हमने ने निर्धारिती के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उक्त उत्पाद सीएसएच 9503.00 के

अंतर्गत आता है जो "अन्य खिलौने; कम आकार के मॉडल; सभी प्रकार की पहलियाँ" शब्दों को संदर्भित करता है। मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स (उपरोक्त) के मामले में निर्णय 12 नवंबर, 2009 को दिया गया था। उस दिन, संबंधित विषय एम/एस. ई. एफ. आई. एल. (ऊपर) था।

4. मेसर्स एफ. आई. एल. (उपरोक्त) के मामले में विभाग द्वारा दायर अपील में 34 मर्कों पर विचार किया गया (न कि 12 मर्कों पर, जैसा कि हमारे 12 नवंबर, 2009 के आदेश में उल्लेख किया गया है, जिसे अब वापस ले लिया गया है)। हम यह बता सकते हैं कि 34 में से तीन आइटम स्क्रैबल/अपवर्ड्स, एकाधिकार, सांप और सीढ़ी से संबंधित हैं। मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स (उपरोक्त) के मामले में हमारे फैसले को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि उक्त तीन आइटम, अर्थात् सांप और सीढ़ी, एकाधिकार और स्क्रैबल/अपवर्ड्स केंद्रीय उत्पाद शुल्क और टैरिफ अधिनियम, 1985 के सीएच 95.04 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

5. समय सीमा के प्रश्न के अधीन, हमने इसके बाद चर्चा की है, हम इस मामले को न्यायाधिकरण को यह जांचने के अनुरोध के साथ भेजते हैं कि क्या शेष 31 वस्तुओं में से प्रत्येक सीएसएच 9504.90 या सीएसएच 9503.00 द्वारा कवर किया जाएगा।

इस उद्देश्य से, न्यायाधिकरण को उन परीक्षणों को लागू करने की आवश्यकता है जो हमने मेसर्स प्लेजेंटाइम प्रोडक्ट्स (उपरोक्त) के मामले में अपने फैसले में प्रतिपादित किए हैं।

6. अब, समय सीमा के प्रश्न पर आते हुए, हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, 23 नवंबर, 2001 के पहले कारण दिखाएँ नोटिस के संबंध में, विभाग के दावे को अक्टूबर, 2000 के बाद की अवधि तक

सीमित रखा जाना चाहिए, और वह भी, यदि वर्गीकरण के मामले में गुण-दोष पर निर्णय निर्धारिती के खिलाफ जाता है, जहां तक 1 मई, 2001 के दूसरे कारण दर्शाओ नोटिस का संबंध है, उक्त नोटिस सीमा के भीतर है और इसलिए, विभाग कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. समापन से पहले, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने अपने आदेश में स्पष्टता लाने के लिए 12 नवंबर, 2009 के अपने आदेश को वापस ले लिया है। हम वस्तुओं की सही संख्या को शामिल करके अपने ऑर्डर को आसानी से ठीक कर सकते थे। हालाँकि, हमने स्पष्टता के लिए आदेश को वापस लेना और उक्त आदेश को फिर से सुनाना सबसे अच्छा समझा।

8. तदनुसार, विभाग द्वारा दायर दीवानी अपीलों को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

अस्वीकरण - यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।